

FORM II

फर्द 3

(निय)

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

ज अदालत

बनुमान

बनाम



जोहराम

किस्म मुकदमा

212 RTA

नं. 36


सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/02/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलान्त के वकील श्री महेन्द्र कुमार ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 212 RTA राजस्थान काश्तकारी/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/ रेस्पोंडेंट को नोटिस/सम्मन की प्रति जरिये रजिस्टर्ड ए.डी के जारी हो पत्रावली वास्ते तामिल/ जवाबदावा दिनांक 29/3/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (नरेश सोनी) सहायक कलक्टर (SDO) बालोतरा </p>	
29-3-22	<p>महान्वयी द्वारा पेश हुई। S.D.O. द्वारा हुक्म जारी में वास्तु हेतु से महान्वयी दिनांक 22-4-22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">104</p>	
22-4-22	<p>प्रार्थी के वकील ने प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि इस प्रार्थना-पत्र एवं में तैयार किया होने से अधिकतर शी लूपाक के भी हस्ताक्षर हैं। अतः हुक्म</p> <p style="text-align: center;">  (नरेश सोनी) सहायक कलक्टर (SDO) बालोतरा </p>	

~~के लुकी है जिससे मूलवश कावली~~
~~पेश कर दी थी। इस मूल कमा~~
~~योग्य होने के पत्रायली पुनः पेश~~
~~करने का अधिकार सुरक्षित रखते~~
~~इए शर्तना पत्र विहीन करने का~~
~~निवेदन किया जाता~~

~~शर्तों के द्वारा प्रस्तुत शर्तना-पत्र~~
~~की स्वीकार कर शर्तों को पुनः अर्पित~~
~~पत्र पेश करने की अनुमति के~~
~~साथ शर्तना पत्र को जरि ले विहीन~~
~~कार्रवा किया जाता है।~~

~~पत्रायली केसल सुमार होकर~~
~~नम्बर से कम है।~~


 (SDE) बालोतरा